न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल जिला–नागौर

बइजलास – रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

मुकदमा नं. 07/2019

प्रार्थी :–

1. बायादेवी पत्नी प्रतापराम
   जाति–जाट, निवासी– धारणा, तहसील–जायल जिला–नागौर।

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. सुगनाई पत्नी कुनाराम जाति–जाट, निवासी–धारणा तहसील–जायल
2. तहसीलदार जायल।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

1. अधिवक्ता श्री अम्बालाल पाराशर प्रार्थी की ओर से।
2. अधिवक्ता श्री दशरथसिंह राठौड़ अप्रार्थी सं. 1 की ओर से।
3. अप्रार्थी संख्या 02 उपस्थित।

दिनांक – 31/03/2021

– : : आदेश : : –

प्रार्थना पत्र का संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए का पेश कर निवेदन किया कि वादीनी का खातेदारी का खेत खसरा नं. 718 रकबा 21 बीघा ग्राम धारणा में ग्राम–धारणा से जायल जाने वाली सड़क से एक खेत छोड़कर आया स्थित है। वादीनी व वादीनी के परिवार के सदस्य अपने खेत खसरा नं. 718 में आने जाने के लिए काश्त करने के लिए ट्रेक्टर, छकड़ा आदि खेत खसरा नं. 719/996 के दक्षिणी धोरे पर से पश्चिम से पूर्व की ओर अपने खेत में आने जाने के लिए बिना रोक–टोक के उपयोग व उपभोग वर्षो से करते आ रहे है। खसरा नं. 719/996 के खातेदार/कृषको द्वारा उक्त रास्ते पर तईया निकालकर उक्त रास्ते का उपयोग/उपभोग करने के लिए प्रार्थीया को मना कर दिया है। इस संबंध में समझाईश की गई परन्तु अप्रार्थी द्वारा नही माने जाने पर यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अतः प्रार्थी के खेत खसरा नं. 718 में आने जाने के लिए ग्राम–धारणा, तहसील–जायल के खसरा नं. 719/996 रकबा 8.14 बीघा के

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

31/03/2021
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

Scanned with CamScanner

दक्षिणी माठ पर करीब 13 फुट चौड़ा व लम्बाई में करीब 400 फुट रास्ता घोषित किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा तहसीलदार जायल को हस्तगत प्रकरण में बिन्दूवार मौका रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गई। जिसकी अनुपालना में मौका रिपोर्ट दिनांक 23.07.2019 को प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली है।

प्रार्थना पत्र के संबंध में मौका रिपोर्ट तहसीलदार जायल से जरिये पत्रांक भू.अ./2019/2084 दिनांक 23.07.2021 के प्राप्त हुई। प्रार्थी के खेताय के लगने वाले सभी कटाणी/कदमी रास्तों का नक्शा सहित संलग्न नक्शा में दर्शाते हुये पेश कर बताया कि गया –

1. प्रार्थी वर्तमान में अपने खेत में आने जाने हेतु खसरा नं. 719/996 की पूर्वी–दक्षिणी माठ पर बताया गया जो मांग किये गये रास्ते से लम्बाई में कम से कम है एवं मौके पर खेत में फसल की बुआई की हुई।
2. प्रार्थी के खेत में आने जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता कोई दूसरा नहीं है तथा प्रार्थी द्वारा मांग किया गया रास्ता नजदीकी रास्ता है।
3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्ते के लिए उपभोग में आने वाली खसरा नं. 719/996 की रकबा 0.05.06 बीघा भूमि उपभोग में आयेगी तथा डीएलसीदर अनुसार उक्त भूमि की प्रतिकर राशि 10462 रू. बताई गई।

वकील अप्रार्थी ने प्रकरण में दिनांक 16.08.2019 को अपना जवाब/आपत्ति प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी/वादी का यह कहना बिलकुल गलत, झूठ है कि प्रार्थी/वादी अपने खातेदारी खेत खसरा नं. 718 में अप्रार्थी के खेत खसरा नं. 719/996 में से काश्त के लिए वर्षो से आते जाते रहे है तथा उक्त रास्ते का उपयोग करते रहे है, जबकि प्रतिवादी/अप्रार्थी के खेत में से प्रार्थना पत्र में वर्णनानुसार कोई रास्ता था ही नहीं, प्रार्थी का यह कहना गलत है कि प्रस्तावित रास्ते पर तईया निकालकर रास्ता अप्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा बंद किया गया है, तथा ना ही अप्रार्थी या परिवारजन से प्रार्थी की इस रास्ते के संबंध में किसी प्रकार की बातचित हुई है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 2 के रूप में तहसीलदार जायल को भू–स्वामी होने पक्षकारान बनाने का अंकन किया है जबकि तहसीलदार जायल लोक पदाधिकारी है जिन्हे किसी भी घोषणा के वाद में पक्षकार बनाने से पूर्व 80 सी.पी.सी. का नोटिस 2 माह पूर्व दिये जाने का प्रावधान है जिसकी पालना

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

Scanned with CamScanner

प्रार्थी/वादी द्वारा इस प्रकरण में नही की गई। इसी प्रकार वादी द्वारा वादकरण रास्ते की घोषणा जो कि वर्षो से उपयोग करने के आधार पर चाही है जो कि वादी के वाद से सुखाधिकार के वाद के तथ्य प्रकृट हो रहे है तथा सुखाधिकार क तहत रास्ते की घोषणा का वाद मात्र सिविल न्यायालय को ही श्रवणाधिकार में है।

वकील अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के संबंध में अतिरिक्त आपत्तियां पेश करते हुये बताया कि वादी ने वाद धारा 251क के तहत पेश किया है, परन्तु किसी अधिनियम के तहत पेश किया है स्पष्ट नहीं है, इसी प्रकार प्रार्थना/वादपत्र में वर्णनानुसार प्रचलित रास्ता को दिनांक 19.06.2019 को बंद करने के तथ्यों पर आधारित है। प्रचलित रास्ता को बंद करने पर धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही ग्राम पंचायत द्वारा सुनवाई योग्य है, परन्तु वादी/प्रार्थी ने उक्त प्रकरण के संबंध में में ग्राम पंचायत के समक्ष कार्यवाही नहीं की। वकील अप्रार्थी/प्रतिवादी ने अन्ततः जवाब/आपत्ति में अंकित किया है कि प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ता ग्राम धारणा से जायल की मुख्य सड़क पर है जिसमें से 578 (5200 वर्गफीट) भूमि रास्ता हेतु चाही है। उक्त रास्ते की भूमि की सरकारी (डीएलसी) 248 रू. प्रति गज की दर से कीमत 1,43,344 रू. तथा बाजार 1000 रू. प्रति गज की दर से 5,78,000 रू. बनती है, जिसे उक्त रास्ते के बदले में प्रतिफल राशि भुगतान के संबंध में प्रार्थी ने किसी प्रकार की याचना नहीं की है। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रकरण में चाहा गया अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है अतः प्रार्थना पत्र/वाद अधीन धारा 251क खारिज योग्य है।

वकील प्रार्थी द्वारा दिनांक 09.09.2019 को प्रार्थना पत्र अधीन आदेश 06 नियम 17 सी.पी.सी. का पेश किया गया, जिसकी प्रतिलिपि वकील अप्रार्थी को दिलाई गई। प्रकरण हाजा के प्रार्थना पत्र आदेश 06 नियम 17 सी.पी.सी. में विचाराधीन रहते अप्रार्थी पक्ष द्वारा माननीय न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर के समक्ष प्रकरण को मुन्तकिल किये जाने के संबंध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसके संबंध में वांछित टिप्पणी न्यायालय द्वारा भिजवाई गई तथा दि. 05.11.2021 माननीय न्यायालय जिला कलक्टर नागौर द्वारा उक्त मुन्तकिल प्रार्थना पत्र तत्कालीन पीठासीन अधिकारी के स्थानान्तरण हो जाने पर खारिज किया गया। जिसके आदेश की प्रति पत्रावली में संलग्न है।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

Scanned with CamScanner

वकील अप्रार्थी ने जाहिर किया प्रकरण हाजा में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 06 नियम 17 में विचाराधीन रहते माननीय न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर के समक्ष प्रकरण हाजा को मुन्तकिल जाने के प्रार्थना पत्र पर निर्णय नहीं होने के कारण जवाब पेश नहीं किया गया तथा उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नहीं करने के निवेदन पर सीधे बहस सुनी गई तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया गया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना आदेश–06 नियम–17 सीपीसी स्वीकार होने के उपरान्त संशोधित शिर्षक पेश किया जो शमिल पत्रावली है।

प्रकरण में मौका रिपोर्ट तहसीलदार जायल प्राप्त हो चुकी है तथा अप्रार्थी द्वारा पूर्व में जवाब पेश किया गया है। हस्तगत प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क के प्रस्तुत किया गया है, जो कि संक्षिप्त कार्यवाही (Summary Proceeding) का होने से निस्तारण हेतु निर्धारित समय सीमा 90 दिन नियत है। परन्तु प्रकरण के अवलोकन से प्रकरण जुन 2019 से विचाराधीन है जो कानून की मंशा के विपरित है, चूंकि प्रकरण में जवाब प्रार्थना पत्र पेश है, प्रार्थना पत्र आदेश 06 नियम 17 का निस्तारण किया जा चुका है तथा हस्तगत प्रकरण में भू–अभिलेख मौका रिपोर्ट भी प्राप्त होकर शमिल पत्रावली है। प्रकरण में अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। मिसल वास्ते बहस अन्तिम हेतु नियत की गई।

दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी का खातेदारी का खेत खसरा नं. 718 रकबा 21 बीघा ग्राम धारणा में ग्राम–धारणा से जायल जाने वाली सड़क से एक खेत छोड़कर आया स्थित है। प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार के सदस्य अपने खेत खसरा नं. 718 में आने जाने के लिए काश्त करने के लिए ट्रेक्टर, छकड़ा आदि खेत खसरा नं. 719/996 के दक्षिणी धोरे पर से पश्चिम से पूर्व की ओर अपने खेत में आने जाने के लिए बिना रोक–टोक के उपयोग व उपभोग वर्षो से करते आ रहे है। खसरा नं. 719/996 के खातेदार/कृषको द्वारा उक्त रास्ते पर तईया निकालकर उक्त रास्ते का उपयोग/उपभोग करने के लिए प्रार्थीया को मना कर दिया है। इस संबंध में समझाईश की गई परन्तु अप्रार्थी द्वारा नही माने जाने पर यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थी को खेत खसरा नं. 718 में कृषि कार्य हेतु आने जाने तथा पशु, छकड़ा ट्रेक्टर इत्यादि लाने व ले जाने के लिए प्रस्तावित रास्ते अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने के कारण तथा प्रार्थी को रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता होने से अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी के ग्राम–धारणा, तहसील–जायल

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल जिला नागौर

Scanned with CamScanner

खसरा नं. 719/996 रकबा 8.14 बीघा के दक्षिणी माठ पर करीब 13 फुट चौड़ा व लम्बाई में करीब 400 फुट रास्ता घोषित किया जावे।

वकील अप्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य काल्पनिक, मनगढ़त व सारहीन बताया तथा निवेदन किया कि प्रार्थना में वर्णनानुसार प्रचलित रास्ता को दिनांक 19.06.2019 को बंद करने के तथ्यों पर आधारित है। प्रचलित रास्ता को बंद करने पर धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही ग्राम पंचायत द्वारा सुनवाई योग्य है, परन्तु वादी/प्रार्थी ने उक्त प्रकरण के संबंध में ग्राम पंचायत के समक्ष कार्यवाही नहीं की। वकील अप्रार्थी/प्रतिवादी ने बताया कि प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ता ग्राम धारणा से जायल की मुख्य सड़क पर है जिसमें से 578 (5200 वर्गफीट) भूमि रास्ता हेतु चाही है। उक्त रास्ते की भूमि की सरकारी (डीएलसी) 248 रू. प्रति गज की दर से कीमत 1,43,344 रू. तथा बाजार 1000 रू. प्रति गज की दर से 5,78,000 रू. बनती है, जिसे उक्त रास्ते के बदले में प्रतिफल राशि भुगतान के संबंध में प्रर्थी ने किसी प्रकार की याचना नहीं की है। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रकरण में चाहा गया अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है अतः प्रार्थना पत्र/वाद अधीन धारा 251क खारिज योग्य है।

अतः प्रार्थी रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता नहीं होने पर भी केवल मनगढ़त तथ्यों एवं आपसी मन मुटाव के चलते अप्रार्थीगण को परेशान करने की नियत से प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क का वैकल्पिक रास्ता का अभाव सिद्ध नहीं कर पाने से स्वीकार योग्य नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

वकील प्रार्थी ने अप्रार्थी की दलीलों का खण्डन करते हुये पुनः बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 2 तहसीलदार जायल को भू–स्वामी होने के कारण तथा रास्ता स्वीकृत होने की दशा में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने तथा नामान्तकरण तस्दीक किये जाने के लिए माननीय न्यायालय के द्वारा प्रार्थना पत्र अधीन आदेश 06 नियम 17 सी.पीसी. के स्वीकार होने के उपरान्त संशोधित शिर्षक पेश करते हुये पक्षकार संयोजित किया गया जैसा कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की मंशा है। इसी प्रकार जहां तक प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्ते के लिए उपभोग में आने वाली भूमि की प्रतिफल/प्रतिकर राशि का भुगतान अप्रार्थी को किये जाने का प्रश्न है, तो प्रार्थी उक्त रास्ते के बदले राज्य सरकार द्वारा निर्धारित डीएलसीदर अनुसार प्रतिकर के रूप में प्रभावित खातेदार/काश्तकार को किये जाने हेतु सहमत है।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल जिला नागौर

Scanned with CamScanner

पत्रावली में प्रार्थना पत्र, जवाब आपत्ति एवं तहसीलदार जायल की मौका रिपोर्ट दिनांक 23.07.2019 का अवलोकन किया गया एवं वकुलाय बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी ने स्वय के खातेदारी खेत खसरा नं. 718 के लिए अप्रार्थी के खेत खसरा नं. 719/966 में से रास्ता दिलाये जाने का अनुतोष चाहा है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क के अनुसार खातेदार कृषक को निकटतम दूरी के कटाणी रास्ते से वैकल्पिक रास्ता का अभाव सिद्ध होने की स्थिति में आत्यान्तिक आवश्यकता सिद्ध होने पर ही रास्ता दिये जाने का प्रावधान है।

प्रकरण हाजा में वकील अप्रार्थी द्वारा प्रथम आपत्ति जाहिर करते हुये निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र हाजा प्रार्थी द्वारा कौनसे अधिनियम के तहत पेश किया है स्पष्ट नहीं है। वकील अप्रार्थी द्वारा की गई उक्त आपत्ति का निस्तारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 06 नियम 17 सी.पी.सी. के निर्णित होने से स्वतः हो चुका है। उक्त आपत्ति का कोई औचित्य नहीं होने से आपत्ति खारिज योग्य है।

प्रकरण हाजा में वकील अप्रार्थी द्वारा द्वितीय आपत्ति जाहिर कर निवेदन किया प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 2 (तहसीलदार जायल) को पक्षकार बनाये जाने से पूर्व 80 सीपीसी का नोटिस दिया जाना चाहिऐ था जो कि हस्तगत प्रकरण में नही दिया गया है। हमारी राय में धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस भूमिधारी (तहसीलदार) से अर्थात सरकारी एवं सिवायचक भूमि में से अनुतोष चाहे जाने पर दिया जाता है, जबकि प्रकरण हाजा में प्रार्थी द्वारा अनुतोष (रास्ता) अप्रार्थी संख्या 1 सुगनाई से चाहा है न कि अप्रार्थी संख्या 2 तहसीलदार (भूमिधारी) से चाहा है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क में तहसीलदार जायल परफोर्मा पक्षकार होता है क्योंकि राजस्थान काश्तकारी नियम 69–70 में विहित है कि रास्ते की मौका/तथ्यात्मक रिपोर्ट भू.अ. निरीक्षक से अनिम्न अधिकारी से मंगवाये जाने का प्रावधान लिखित है। अतः उक्त आपत्ति सारहीन होने से खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है।

इसी प्रकार वकील अप्रार्थी ने तृतीय आपत्ति जाहिर की है कि अप्रार्थी की खातेदारी की भूमि ग्राम धारणा से जायल की मुख्य सड़क पर है जिसमें से 578 (5200 वर्गफीट) भूमि रास्ता हेतु चाही है। उक्त रास्ते की भूमि की सरकारी (डीएलसी) 248 रू. प्रति गज की दर से कीमत 1,43,344 रू. तथा बाजार 1000 रू. प्रति गज की दर से 5,78,000 रू. बनती है, जो प्रार्थी से उक्त रास्ते बदल में दिलवाई जावे। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 69–70 के प्रावधान

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल जिला नागौर

Scanned with CamScanner

अनुसार रास्ता हेतु उपभोग में आने वाली भूमि के एवज में डीएलसी दर की दुगुनी राशि प्रभावित पक्षकार को प्रतिकर राशि के रूप में प्रार्थी पक्ष से दिलाने जाने प्रावधान है, न कि अप्रार्थी के बताये अनुसार बाजार दर से। प्रार्थी रास्ते के एवज में उपभोग आने वाली भूमि के लिए नियमानुसार देय डीएलसी दर की दुगुनी प्रतिकर देने हेतु आबद्ध है। अतः वकील अप्रार्थी की उक्त आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं है।

उपर्युक्त विवेचन एवं मौका रिपोर्ट एवं आपत्तियों के निस्तारण के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि प्रार्थी को खातेदारी खेत खसरा नं. 718 ग्राम धारणा तहसील जायल में कृषि कार्य के लिए आवागमान हेतु वैकल्पिक रास्ता का अभाव है तथा रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता होना सिद्ध होता है तथा प्रार्थी को अप्रार्थी के खेत खसरा नं. 719/996 में से माफिक नजरी नक्शानुसार (मौका रिपोर्ट) 13 फीट चौड़ाई का रास्ता स्वीकृत एवं घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

– : : आदेश : : –

यत् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता एवं कृषि प्रयोजनार्थ आने व जाने अथवा संसाधनो को लाने ले जाने के लिए मार्ग का अभाव सिद्ध होने के कारण प्रार्थी के खेत खसरा नं. 718 के लिए माफ़िक नजरी नक्शानुसार ग्राम–धारणा तहसील–जायल के खसरा नं. 719/996 में से तहसीलदार जायल से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 23.07.2019 के अनुसार डोटेट मार्क के अनुसार 350 फीट लम्बाई व 13 फीट चौड़ाई का स्वीकृत व घोषित किया जाता है। तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाते है कि वे उक्त ग्राम धारणा तहसील–जायल के खसरा नं. 719/996 में से रास्ते के उपयोग हेतु आने वाली भूमि के एवज में प्रार्थीयां बायादेवी से वर्तमान नवीनतम डी.एल.सी. दर अनुसार 2 गुणा राशि (माफिक मौका रिपोर्ट/तकमीना) प्रभावित खातेदार कृषक सुगनाई को नियमानुसार भुगतान कराने की कार्यवाही करे। तहसीलदार जायल से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 23.07.2019 प्रकरण में निर्णय का भाग रहेगी।

तहसीलदार जायल माफिक आदेश बाद अपील मियाद के राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट पेश करे। तदनुसार तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 31/03/2021 को मेरे द्वारा सरे ईजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (उप.डी.ओ.) जायल

31/03/2021

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी जायल

Scanned with CamScanner